

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-काना राम, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-15/2024 विविध(धारा 14 सिक्वोरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा-बस स्टेण्ड भादरा जिला-हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी

--प्रार्थी

बनाम

श्री धर्मपाल जाट पुत्र श्रीप्रताप जाट

R/o वीपीओ जुंगराना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राज.)

—ऋणी

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।



आदेश

दिनांक:-21.08.2024

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा-बस स्टेण्ड भादरा जिला-हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 28.09.2018 को 7,00,000- (अखरे सात लाख रुपये मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। ऋणी ने उक्त ऋण सुविधा के तहत प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चों के अदा करने की गारन्टी के रूप में अपनी अचल संपत्ति वीपीओ जुंगराना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 2706 वर्गफुट, जो कि श्री धर्मपाल जाट पुत्र श्रीप्रताप जाट के नाम से है, जिसको आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

ऋणी द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी के ऋण खाता को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 28.05.2021 को गैर-निष्पादनीय आस्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

ऋणी के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 10.02.2022 को भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 7,37,975.20/- (अखरे सात लाख सैंतिस हजार नौ सौ पिचहतर और बीस पैसे मात्र) दिनांक 10/02/2022 तक व दिनांक 10/02/2022 तक का व आगे का ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के अदा करने की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है और न ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी की ओर से उपस्थित वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा अचल संपत्ति वीपीओ डुंगराना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 2706 वर्गफुट, जो कि श्री धर्मपाल जाट पुत्र श्रीप्रताप जाट के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



51
जिला कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़